स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) राजस्थान

सामाजिक अंकेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022–23

Society for Social Audit, Accountability and Transparency (SSAAT), Govt. of Rajasthan
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, जयपुर (राजस्थान)
Email id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-227033
Website: www.socialaudit.rajasthan.gov.in

अनुक्रमणिका

विषय वस्तु	पृष्ठ–संख्या
राजस्थान मे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना	01
योजना के तहत लाभार्थी	03
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (**SBM-G**) की विशेषताऐं	04
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (**SBM-G**) अन्तर्गत प्रस्तावित राशि	07
कार्यान्वयन विभाग	08
स्वच्छ भारत मिशन कार्यनीति	08
सामाजिक अंकेक्षण	09
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी **(SSAAT)**	10
सामाजिक अंकेक्षण प्रकिया	11
स्वच्छ भारत मिशन मे सामाजिक अंकेक्षण के उद्देश्य	12
सामाजिक अंकेक्षण शासनादेश **(MANDATE)**	12
एसबीएम योजनान्तर्गत सामाजिक अकेंक्षण	13
सामाजिक अकेंक्षण के बिंदु	15
सामजिक अंकेक्षण दल द्वारा पाई गई अनियमितताओं/कमियों का विवरण	16
सामजिक अंकेक्षण में पाई गई प्रमुख अनियमितताओं का प्रतिशत (पाई चार्ट)	21

राजस्थान मे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना

समग्र स्वच्छता प्राप्ति के प्रयासों में सार्थक रूप से तेजी लाने के लिये भारत के प्रधानमंत्री ने दिनांक 02 अकटूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन आरम्भ किया। इस मिशन का उद्देश्य दिनांक 02 अक्टूबर 2019 तक अर्थात महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयन्ती पर श्रद्धांजली के रूप में खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करके, स्वच्छ भारत बनाना था। स्वच्छ भारत मिशन के दो उपमिशन है–पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (**SBM-G**) और आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन स्वच्छ भारत मिशन शहरी (**SBM-U**) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा इस समग्र मिशन का समन्वय किया जाता है। कार्यमंत्रालय के अधीन योजनान्तर्गत गावों को खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाये रखना और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में साफ–सफाई के स्तर में सुधार लाना और उन्हें ओ.डी.एफ. प्लस गांव बनाना है।

वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरूआत के बाद 10.00 करोड से अधिक शौचालय बनाये गये। इसके परिणामस्वरूप अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गावों और फलतः सभी 36 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों ने स्वयं को खुले में शौचमुक्त घोषित कर दिया था।

इस मिशन का लक्ष्य सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित शौचालय उपलब्ध कराना है। इसलिये शौचालय के चयन में सुरक्षित तकनीकी विकल्पों का होना एक महत्वपूर्ण घटक है। ट्विन पिट, सोक पिट युक्त सेप्टिक टैंक, इको सेन और बायो शौचालय आदि कई सुरक्षित स्वच्छता तकनीकी उपलब्ध है। हालाकिं भारत सरकार टोपोग्राफी, भू–जल स्तर, मिट्टी की स्थिति आदि के आधार पर राज्यों को उपयुक्त तकनीक का चयन करने की छूट देती है। राज्य अन्य उपयुक्त तकनीको का भी विकास कर सकते है। राज्य उपलब्ध तकनीको एवं उसकी लागत के विषय में लाभार्थी को सूचना प्रदान करेगे ताकि लाभार्थी उपयुक्त विकल्प का चयन कर सके।

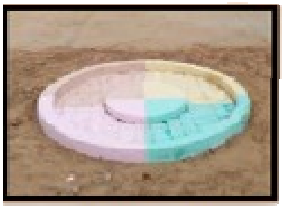

राजस्थान मे मैजिक पिट का निर्माण

ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस कचरे के प्रकार

ऐसी कोई भी वस्तु जिसे उसके वर्तमान रूप में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता या फिर जिसे बेकार मानकर फेंक दिया जाता है उसे कचरा कहते है।

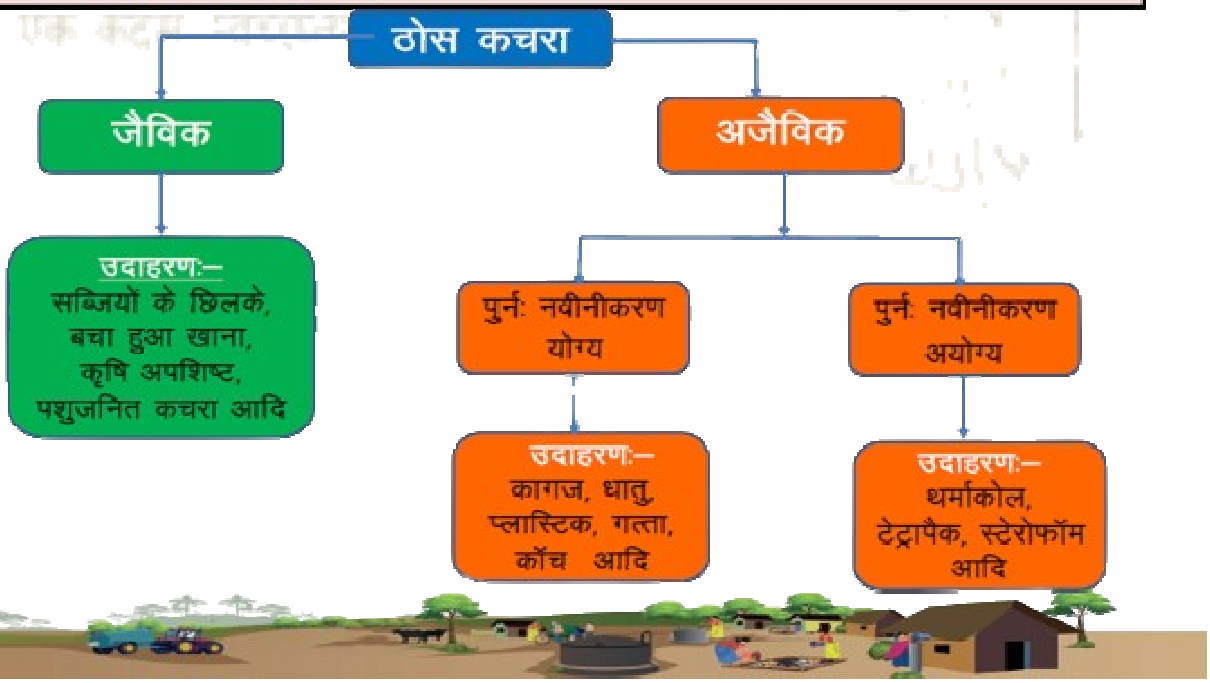

योजना के तहत लाभार्थी

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (**SBM-G**) योजनान्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिये बीपीएल और एपीएल परिवारों को 12000/– रू तक की राशि साफ–सफाई रखने के लिये धुलाई करने और हाथ धोने हेतु पानी के भण्डारण सुविधा की व्यवस्था सहित दी जाती है।

पात्रता

- गरीबी रेखा से नीचे के समस्त (बी.पी.एल.) परिवार
- गरीबी रेखा के उपर के (ए.पी.एल.) परिवार
  - ✓ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति,
  - ✓ दिव्यांगजनों के परिवार,
  - ✓ अधिवास वाले भूमिहिन परिवार,
  - ✓ लघु और सीमान्त किसान
  - ✓ महिला प्रधान परिवार
- वैयक्तिक घरेलू शौचालय के निर्माण के लिए 12,000/– रूपये की प्रोत्साहन राशि पाने के पात्र

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G) की विशेषताऐं

भारत सरकार के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक शौचालय हो। इसके साथ ही गांव के सभी घरों के साथ–साथ प्राथमिक विद्यालय,पंचायत घर और आगॅनबाडी में शौचालय की व्यवस्था हो, वही सभी सार्वजनिक स्थानों और कम से कम 80 फीसदी घरों में अपने ठोस और तरल कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन हो। इतना ही नहीं स्कूल–आंगनबाड़ी केंद्र पर छात्र और छात्राओं के लिए अलग–अलग शौचालय उपलब्ध हो किसी भी सामूहिक जगहों पर जैविक या अजैविक कूड़ा या नाले में पानी इकट्ठा न हो और गांव में कूड़ा निस्तारण के लिए कूड़ेदान या गड्ढे बने हो।

गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित करने के लिए प्लास्टिक कचरा प्रबंधन को भी एक महत्वपूर्ण मानदंड बनाया गया है। इसके तहत जब बड़ी मात्रा में प्लास्टिक जमा हो जाता है। तो इसे प्लास्टिक वेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर में ले जाया जाता है। जहां इसे काटा–छांटा जाता है या बेलिंग मशीन में डाल दिया जाता है। इसके अलावा गांव में प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर बनने के साथ ही सामुदायिक बायो गैस प्लांट होना भी आवश्यक है. वहीं गांवों के लोगों को जागरूक करना भी इसका ही हिस्सा है. इसलिए इसके तहत गांव में पांच मुख्य जगहों पर स्वच्छता स्लोगन लिखा होना भी जरूरी है. वहीं आखिर में गांव में प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर बना होना भी आवश्यक है।

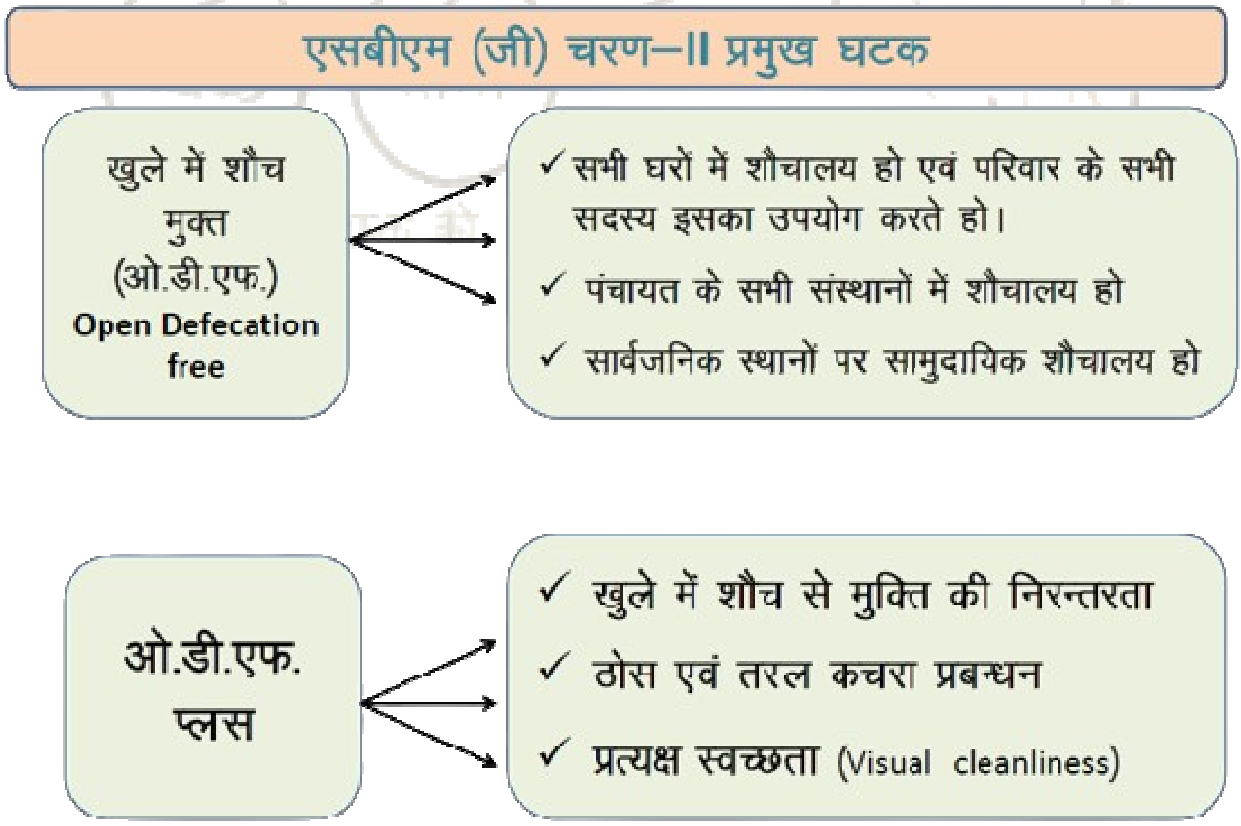

एसबीएम (जी) चरण–II प्रमुख घटक

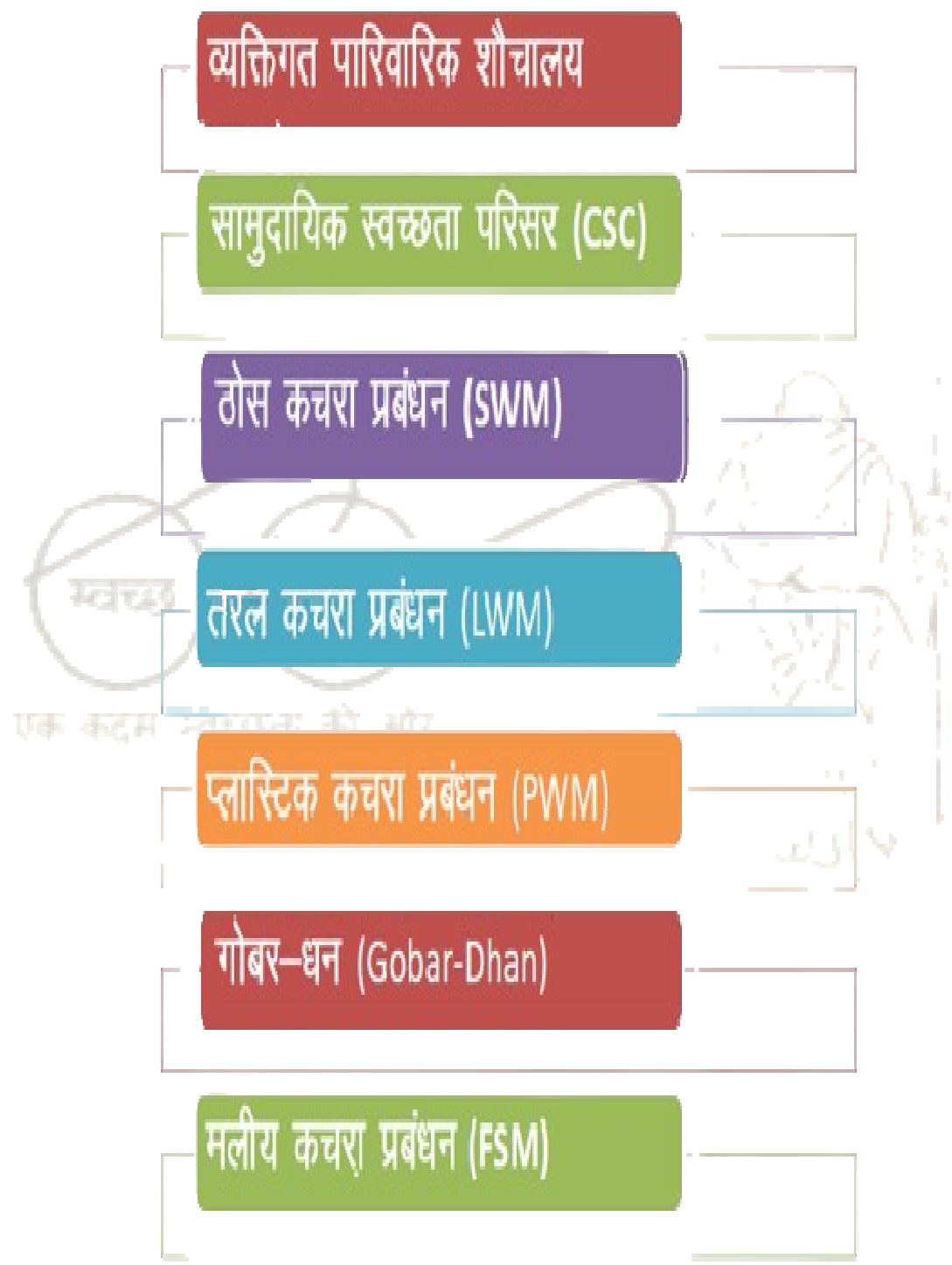

वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण

- नये परिवार के रूप में चिन्हित परिवारों/छूटे हुए परिवारों हेतु वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण हेतु मदद
- एक विधिवत रूप से निर्मित वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय में

  (अ) एक अधःसंरचना (जिसमें मानव मल सुरक्षित रूप से एकत्रित किया जाता है और मल के पूरी तरह से विघटित होने से पहले मानव द्वारा इसके निकाले जाने की आवश्यकता को समाप्त करता है)

  (ब) एक उपरी संरचना

  (स) हाथ धोने और सफाई के लिए जल भंडारण की सुविधा की व्यवस्था

सामुदायिक स्वच्छता परिसर

- अस्थायी/प्रवासी आबादी की स्वच्छता संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ।
- ग्राम पंचायत सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के उपर्युक्त स्थान का निर्धारण करेगी जो सबके लिए सुगम्य हो, पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता हो और जहां लम्बी अवधि तक संचालन एवं रख–रखाव सुनिश्चित किया जा सके।
- सामुदायिक स्वच्छता परिसरों में पुरूषों एवं महिलाओं के लिए अलग–अलग सुविधा और उनमें पर्याप्त संख्या में शौचालय सीट, स्नानघर, कपड़े धोने का चबूतरा, हाथ धोने का वॉस–बेसिन आदि।
- सामुदायिक स्वच्छता परिसर दिव्यांगजनों के उपयोग के अनुकूल।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G) अन्तर्गत प्रस्तावित राशि

गावों की 5000 तक की जनसख्या के लिये ठोस कचरा प्रबंधन में प्रति व्यक्ति 60 रू. गंदला जल प्रबंधन में प्रति व्यक्ति 280 रू तक की राशि रखी गई है। इस राशि का 30 प्रतिशत भाग ग्राम पंचायतों द्वारा 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से लिया जायेगा।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण **(SBM-G)** योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 में भारत सरकार द्वारा 7192 करोड रूपये आवंटित किये गये है। हर घर जल भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में लागू किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में नल का पानी कनेक्शन भी प्रदान करना है।स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण **(SBM-G)** योजनान्तर्गत प्लास्टिक कचरा प्रबंधन प्रत्येक ब्लॉक में 01 प्रति ईकाई 16.00 लाख रू तक, मलीय कचरा प्रबंधन प्रति व्यक्ति 230 रू0 तक गोबर धन परियोजनाओं में प्रति जिला 50 लाख रू तक दिये जाते है।

समुदायिक स्वच्छता परिसर 3 लाख रू तक की राशि के 30 प्रतिशत भाग को ग्राम पंचायतों द्वारा 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अपने अनुदानों से वहन किया जायेगा। आईईसी और क्षमता निर्माण में कार्यक्रम संबंधित घटको के लिये कुल वित्तपोषण का 5 प्रतिशत (3 प्रतिशत का उपयोग राज्य व 2 प्रतिशत का उपयोग जिला स्तर पर) किया जाना है।

वित्तीय प्रावधान

ठोस कचरा प्रबंधन	5000 तक की जनसंख्या के लिए 60 रू. प्रति व्यक्ति 5000 से अधिक जनसंख्या के लिए 45 रू. प्रति व्यक्ति
तरल कचरा प्रबंधन	5000 तक की जनसख्या के लिए 280 रू. प्रति व्यक्ति 5000 से अधिक जनसंख्या के लिए 660 रू. प्रति व्यक्ति
प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई	प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर प्रति इकाई 16 लाख रू.
गोबर–धन	जिला स्तर पर प्रति इकाई 50 लाख रू
मल युक्त कीचड़ प्रबंधन	जिला स्तर पर 230/–(प्रति व्यक्ति)
सूचना शिक्षा और संचार एवं प्रत्यक्ष स्वच्छता	परियोजना की कुल लागत राशि का 3 प्रतिशत राशि

कार्यान्वयन विभाग

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G) योजना के संचालन हेतु ग्रामीण, पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, कार्यान्वयन एजेंसी के रूप मे कार्यरत है।

स्वच्छ भारत मिशन कार्यनीति

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यनीति पर बल देने का तात्पर्य राज्य सरकारों को स्वच्छ भारत के कार्यान्वयन में लचीलापन प्रदान करना है। चूँकि स्वच्छता राज्य का विषय है इसलिए राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ भारत मिशन की कार्यान्वयन नीति तथा तंत्रों और निधियों के उपयोग पर निर्णय लेना आवश्यक है। इसमें देश के लिए इसकी आवश्यकताओं को समझते हुए मिशन को पूरा करने के लिए संकेन्द्रित कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने में भारत सरकार की अहम भूमिका है।

स्वच्छ भारत मिशन को मुख्य रूप से भिन्न करने वाला कारक व्यवहारगत परिवर्तन है और इसलिए व्यवहारगत परिवर्तन संवाद (बीसीसी) पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है।

बीसीसी, एसबीएम (जी) के घटक के रूप में की जाने वाली एक 'स्टैण्डअलोन' पृथक गतिविधि नहीं है बल्कि प्रभावी बीसीसी के माध्यम से समुदायों को सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने के लिए परोक्ष रूप से दबाव डालने के विषय में है।

जागरूकता सृजन, लोगों की मानसिकता को प्रेरित कर समुदाय में व्यवहारगत परिवर्तन लाने और घरों, स्कूलों, आंगनवाड़ियों, सामुदायिक समूहों के स्थलों में स्वच्छता की सुविधाओं की मांग सृजित करने तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन गतिविधियों पर बल दिया जा रहा है। चूँकि सभी परिवारों और व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन एवं प्रत्येक बार शौचालय के उपयोग पर वांछित व्यवहार अपनाए बिना खुले में शौच मुक्त गांवों की प्राप्ति नहीं की जा सकती है अतः सामुदायिक कार्रवाई और आउटलाइअरों पर दबाव पैदा करना जरूरी है।

कार्यविधि आरेख

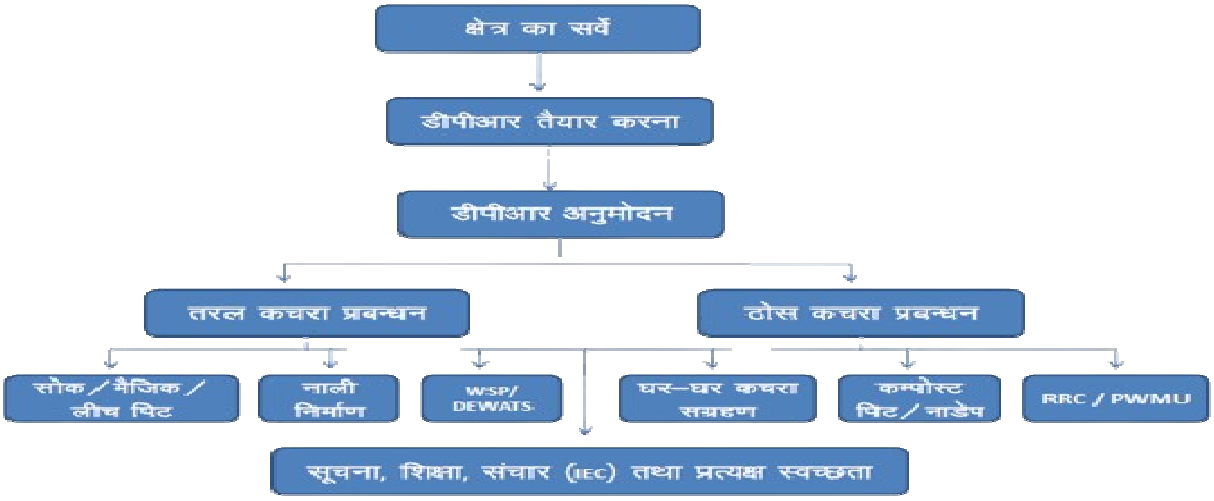

सामाजिक अंकेक्षण

परिचय

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा वास्तविक लाभार्थियों को सम्पूर्ण अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके, इस हेतु समाज के प्रभावित पक्षों, सिविल सोसायटी संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं आम नागरिकों द्वारा तथ्य परख निगरानी व्यवस्था ही ''सामाजिक अंकेक्षण'' है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शब्दों में "पारदर्शिता" एवं "जवाबदेहिता" लोकतंत्र के दो स्तंभ हैं– एक अवधारणा के रूप में सामाजिक अंकेक्षण पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता–दोनों के उद्देश्यों की जमीनी स्तर पर पूर्ती करता है। सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत स्वैच्छिक संस्था "मज़दूर किसान शक्ति संगठन" द्वारा की गयी, जिसमें सरकारी कार्यों एवं व्यय हेतु राजस्थान के रायपुर (पाली) में जन सुनवाई हुई। पंचायती राज अधिनियम द्वारा ग्राम सभा को पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं सरकार के कार्यों की स्थानीय निगरानी का कार्य सौंपा गया। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005, ई–गवर्नेंस आदि के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की नींव रखी गयी तथा जनता को सरकारी रिकॉर्डों तक पहुँच प्रदान की गयी।

इस हेतु विभिन्न योजनाओं के दिशा निर्देशों में भारत सरकार द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने संबंधी निर्देशों का समावेश किया हुआ है ताकि उन योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभार्थियों को अपेक्षित लाभ प्राप्त हो रहे हैं, कि समीक्षा जनसाधारण द्वारा होती रहे, समस्त वांछित सूचनायें पूर्ण पारदर्शितापूर्वक उपलब्ध हो सके तथा सबसे कमजोर वर्ग की आवाज भी शासन के सर्वोच्च पदों पर पदासीन अधिकारियों तक सुगमतापूर्वक पहुंचे। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम ऐसा प्रथम राष्ट्रीय कानून है, जिसमें सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को विधिवत् स्वीकार किया गया है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के अतिरिक्त, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हेतु सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य बनाया गया है।

सोशल ऑडिट की अवधारणा के तहत सूचनाओं को आमजन तक पहुँचाया जाता है, ताकि किसी कार्यक्रम के लिए नीति बनाने से लेकर उसके कार्यान्वयन और मूल्यांकन तक का ब्यौरा पारदर्शी हो सके।

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक M13015/2021/MGNREGA Vii/pt- दिनांक 11.08.2014 में प्रदत्त निर्देशानुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत मंत्री मण्डलीय ज्ञापन संख्या एफ11(8)/ग्रा.वि./नरेगा/सिविल सोसायटी/सा.अंके./2015 दिनांक 19.06.2019 पर हुए मंत्रीमण्डलीय आज्ञा क्रमांक डी.49/मं.मं./2019 दिनांक 27.06.2019 पालना में SSAAT के गठन का अनुमोदन किया गया। इसकी पालना में SSAAT का पंजीकरण राजस्थान पंजीयन अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अन्तर्गत करवाया गया जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक COOP/2019/Jaipur/ 104900 दिनांक 20.08.2019 है। SSAAT की विधिवत अधिसूचना राजस्थान राजपत्र साधारण दिनांक 19.09.2019 में प्रकाशित की गई है।

उपरोक्तानुसार एक स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई SSAAT का गठन किया गया है। इससे ना केवल अधिनियम के प्रावधानों की बेहतर पालना की जा सकेगी, बल्कि सामाजिक अंकेक्षण की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकेगा। वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा, मिड–डे–मिल योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अलावा स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण, पन्द्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों एवं योजना का भी सामाजिक अंकेक्षण करवाया जा रहा है।

सामाजिक अंकेक्षण प्रकिया

सर्वप्रथम सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी द्वारा सामाजिक अंकेक्षण हेतु वार्षिक कार्ययोजना बनायी जाती है उसके उपरान्त कार्ययोजना के अनुसार माहवार कलैण्डर जारी किया जाता है। तदनुसार सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के निर्देशो के अंतर्गत संबंधित पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण दलो का गठन जिसमे एक ब्लाक संसाधन व्यक्ति (बी.आर.पी.) एवं पांच ग्राम संसाधन व्यक्ति (वी.आर.पी.) का गठन किया जाता है। बी.आर.पी. द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत से अंकेक्षण अवधि का रिकॉर्ड प्राप्त किया जाता है। रिकॉड की जाँच की जाती है साथ ही योजना के क्रियानवन सम्बधित गतिविधियों का अंकेक्षण दल द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है। जाँच दौरान पाई गई अनियमितताओं की एक रिपोर्ट निर्धानित प्रारुप में बना कर ग्राम सभा के दिन जाँच दल द्वारा ग्राम सभा में प्रस्तुत की जाती है। ग्राम सभा से अनुमोदित रिपोर्ट नरेगा सॉफ्ट/संबंधित योजना के पोर्टल/गूगल लिंक पर अपलोड की जाती है।

01 सूचनाओं एवं अभिलेखों का संकलन

02 क्षेत्र भ्रमण एवं जाँच

03 ड्राफ्ट प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा की बैठक की तैयारी

04 ग्राम सभा की बैठक एवं प्रतिवेदन को अंतिम रूप

05 प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण एवं फॉलोअप

06 सामजिक अंकेक्षण रिपोर्ट की अनुपालना

स्वच्छ भारत मिशन मे सामाजिक अंकेक्षण के उद्देश्य

सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है कार्यान्वयन के सभी चरणों में लोगों की भागीदारी के साथ–साथ सामाजिक लेखापरीक्षा में भाग लेने वाले स्थानीय हितधारकों की क्षमता में सुधार करना है। सामाजिक लेखापरीक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य है :–

- सामाजिक अंकेक्षण के तहत गांवों में ठोस व तरल कचरा प्रबंधन, सामुहिक व व्यक्तिगत शौचालयों की स्थिति, गोबर धन प्रोजेक्ट व सफाई व्यवस्था की जांच करना।
- सामाजिक अंकेक्षण टीम द्वारा ग्रामीणों से स्वच्छता को लेकर हुए कार्यों पर वार्ता करना।
- साफ–सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- पात्रता अनुसार लाभार्थी को योजना का लाभ पहुचाना।
- अनुदानित व्यय राशि की जांच करना।
- योजना से सम्बंधित मानकों की जांच करना।
- लम्बी अवधि तक गांवों, ग्राम पंचायतों, ब्लॉक, जिलों और राज्यों की खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखना।
- यह सुनिश्चित करना कि लोग शौचालयों का नियमित रूप से उपयोग करते रहें और व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वच्छता व्यवहार सहित सुरक्षित स्वच्छता का पालन करते रहें।
- यह सुनिश्चित करना कि ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र स्वच्छता के लिए गांवों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था उपलब्ध हो।
- ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना।

सामाजिक अंकेक्षण शासनादेश (MANDATE)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के आदेश क्रमांक S-18013/2/2014-O/o Dir (SBM) दिनांक 07.08.2018 के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का सामाजिक अंकेक्षण किया जाने का प्रावधान किया गया है।, उपरोक्त आदेशानुसार सामाजिक अंकेक्षण कार्य एवं सामजिक अंकेक्षण ग्राम सभाओं का आयोजन संलग्न Manual for Social Audit, SBM(G) में दिए गये निर्देशानुसार एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम के साथ ही करवाया जाना सुनिश्चित किया गया।

एसबीएम योजनान्तर्गत सामाजिक अकेंक्षण

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना में वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 तक में स्वीकृत शौचालयों के सामाजिक अंकेक्षण एवं भौतिक सत्यापन माह जुलाई 2022 से मार्च 2023 की स्थिति निम्नानुसार है:–

क्र. स.	जिले का नाम	ग्राम पंचायतो की संख्या	अंकेक्षित शौचालयों की संख्या	अंकेक्षित शौचालयों की संख्या
			जुलाई 2022 से अक्टुबर 2022 तक	नवम्बर 2022 से मार्च 2022 तक
1	AJMER	325	3979	–
2	ALWAR	574	647	–
3	BANSWARA	418	1305	–
4	BARAN	232	1792	–
5	BARMER	689	7577	–
6	BHARATPUR	401	0	6057
7	BHILWARA	398	1434	–
8	BIKANER	367	878	–
9	BUNDI	184	282	3539
10	CHITTORGARH	298	444	–
11	CHURU	304	708	–
12	DAUSA	288	478	–
13	DHOLPUR	185	164	569
14	DUNGARPUR	353	2239	10164
15	HANUMANGARH	269	819	–
16	GANGANAGAR	345	708	–
17	JAIPUR	602	1280	–
18	JAISALMER	206	280	–
19	JALOR	306	989	–
20	JHALAWAR	254	674	4319
21	JHUNJHUNU	329	2831	307
22	JODHPUR	629	457	–
23	KARAULI	241	113	–
24	KOTA	156	757	–
25	NAGUR	500	971	–
26	PALI	341	2308	–
27	PRATAPGARH	235	824	–
28	RAJSAMAND	214	713	–
29	SAWAI MADHOPUR	225	590	–
30	SIKAR	374	1374	–
31	SIROHI	171	606	11753
32	TONK	236	430	2003
33	UDAIPUR	652	2619	12156
	TOTAL	11301	41270	50867

स्वीकृत शौचालयों के सामाजिक अंकेक्षण एवं भौतिक सत्यापन माह जुलाई 2022 से मार्च 2023 की स्थिति

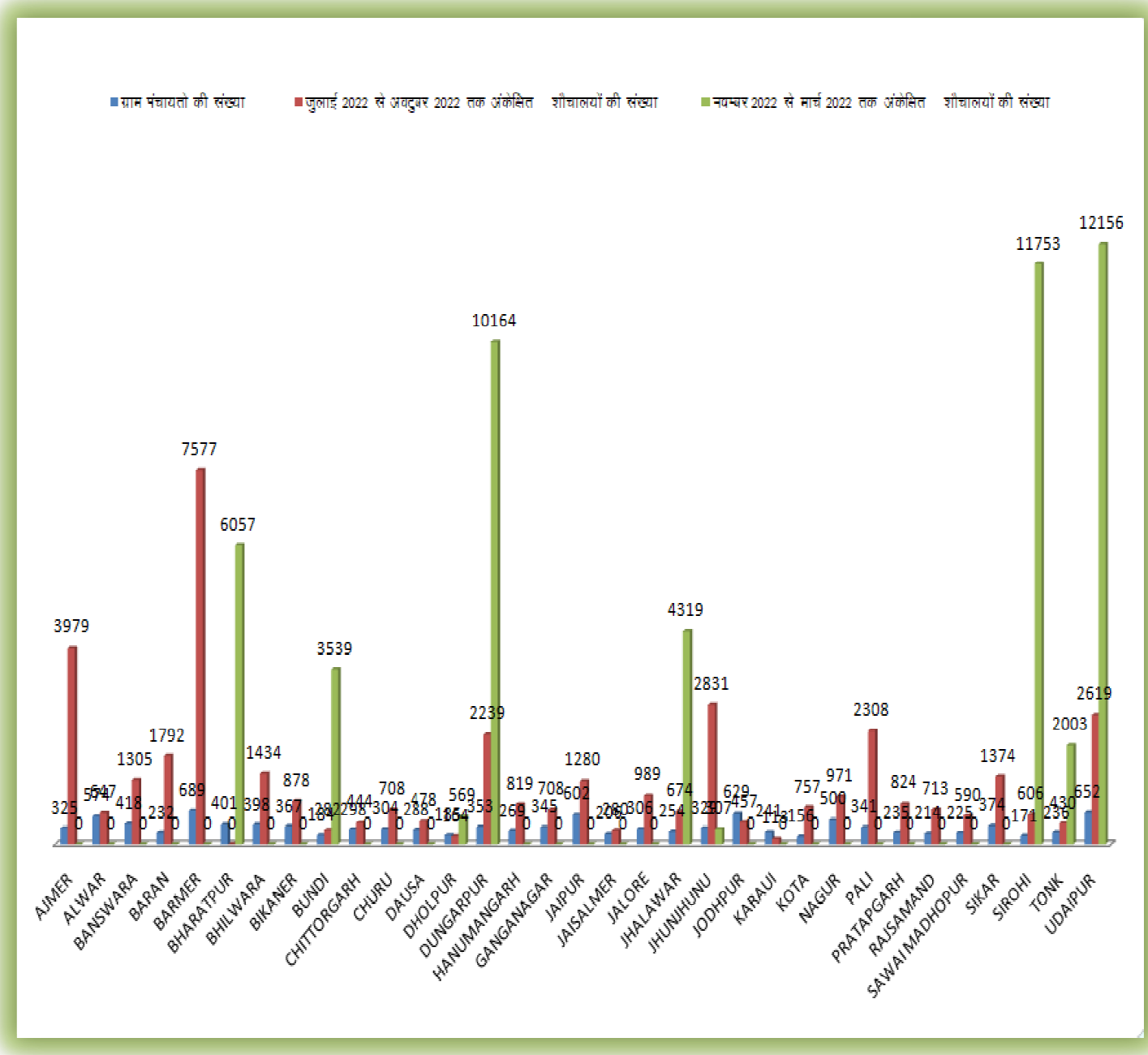

सामाजिक अकेंक्षण के बिंदु

वर्ष 2022–23 तक राजस्थान में 11,301 ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (**SBM-G**) के सामाजिक अकेंक्षण के बिंदु निम्नानुसार हैं :–

1 क्या **शौचालय** की गुणवत्ता या क्षेत्रफल में कमी है ?

2 स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण से देय मानव दिवस का लाभ दिया गया है अथवा नहीं ?

3 क्या वास्तव में **शौचालय** पूर्ण, किंतु लाभार्थी को किश्त का भुगतान नहीं हुआ है ?

4 क्या अपात्र लाभार्थी को स्वीकृति (पहले से पक्का **शौचालय** होने या सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद स्वीकृति) प्रदान की गयी है ?

5 शौचालय के मल निपटान हेतु पिट लगाया गया है अथवा नहीं ?

6 शौचालय के मल निपटान हेतु यदि पिट लगाया गया है तो चालू है अथवा नहीं ?

7 शौचालय में सुविधाओं का अभाव – पानी की टंकी, पानी का नल, बाल्टी, फ्लस, लाईट, किवाड है अथवा नहीं ?

8 शौचालय में साफ–सफाई है अथवा नहीं ?

9 क्या लाभार्थी द्वारा **शौचालय** का अन्य कार्य में उपयोग किया जा रहा है ?

10 क्या अपूर्ण **शौचालय** को पूर्ण दिखाया गया ?

11 क्या राशि का दुरूपयोग (पूर्व निर्मित **शौचालय** पर अथवा बिना निर्माण करवाये समस्त अनुदान राशि जारी) किया गया है ?

12 क्या लाभार्थी द्वारा **शौचालय हेतु** अनुदान राशि जारी कराने में रिश्वत की शिकायत की गई ? (शिकायत लिखित रूप में संलग्न)

13 क्या राजकीय भूमि पर **शौचालय** निर्मित है ?

14 SBM (G) लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ है अथवा नहीं ?

15 क्या शौचालय की संचालन व्यवस्था हेतु जिम्मेदार व्यक्ति /पंचायत समिति/अन्य संस्था का अभाव है ?

सामजिक अंकेक्षण दल द्वारा पाई गई अनियमितताओं/कमियों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह मार्च तक के सामाजिक अंकेक्षण की 1167 अंकेक्षण रिपोर्ट्स के आधार पर कुछ जिलों में सामाजिक अंकेक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं/कमियों का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र. स.	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायतों के नाम	अनियमितता
1	झालावाड़	पिड़ावा (सुनेल)	दांता	• भौतिक सत्यापन के दौरान कुछ शौचालय का उपयोग नही कुछ में नल नही लगा।
			चछलाव	• शौचालय स्वीकृत पर पूर्ण नही
			ढाबलाखिंची	• गेट, नल, टंकी, पानी की अनुपलब्धता
			गैलानी	• नल,टंकी, सफाई की उपयुक्त सुविधा नही है।
			हिम्मतगढ़	• नल टंकी पानी की व्यवस्था नही
		भवानीमण्डी	घटोद	• शौचालय बनवाये है किन्तु किश्त खाते में नही गई।
		डग	लुहारिया	• 2019 में ओडिएफ होने के बाद भी 2020–21 व 2021–22 में निर्माण नही हुआ है।
			देवगढ़	• साफ–सफाई क कमी
2	बीकानेर	कोलायत	बीकानेर	• सूचना पट्ट नही लगा हुआ है।
3	दौसा	लवाण	डूगरावता	• 2021–22 में कुल 24 शौचालय स्वीकृत हैं जिनमे 7 पूर्ण है लेकिन उपयोग में नही लिए जा रहे एवं 17 अपूर्ण है • शौचालय में सुविधाओं का अभाव – पानी की टंकी, पानी का नल, बाल्टी, फ्लस, लाईट, किवाड • SBM (G) लोगो /सूचना बोर्ड नही लगा हुआ है। • शौचालय के मल निपटान हेतु पिट नही लगाया गया है।
		रामगढ़ पचवाडा	कालूवास	• शौचालय में सुविधाओं का अभाव – पानी की टंकी, पानी का नल, बाल्टी, फ्लस,

				लाईट, किवाड
			पलुन्द	• शौचालय में सुविधाओं का अभाव – पानी की टंकी, पानी का नल, बाल्टी, फ्लस, लाईट, किवाड
		लालसोट	खेडला खुर्द	• शौचालय मौके पर मौजूद नही मिला • सूचना बोर्ड नही लगा हुआ है • खड्डा नही है
4	अजमेर	जवाजा	जलाड़	• शौचालय में सुविधाओं का अभाव – पानी की टंकी, पानी का नल, बाल्टी, फ्लस, लाईट, किवाड नही। • शौचालय में साफ–सफाई नही है।
			सरवीना	• शौचालय में सुविधाओं का अभाव – पानी की टंकी, पानी का नल, बाल्टी, फ्लस, लाईट, किवाड नही।
			आसन	• वास्तव में शौचालय पूर्ण, किंतु लाभार्थी को किश्त का भुगतान नहीं हुआ है
			अतीतमंड	• शौचालय की गुणवत्ता या क्षेत्रफल में कमी है। • शौचालय में सुविधाओं का अभाव – पानी की टंकी, पानी का नल, बाल्टी, फ्लस, लाईट, किवाड नही। • शौचालय में साफ–सफाई नही है।
			किशनपुरा	• 10 शौचालयों की गुणवत्ता या क्षेत्रफल में कमी है। • वास्तव में 20 शौचालय पूर्ण, किंतु लाभार्थी को किश्त का भुगतान नहीं हुआ है। • अपात्र लाभार्थी को स्वीकृति (पहले से पक्का शौचालय होने या सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद स्वीकृति) प्रदान की गयी है। • अपूर्ण शौचालय को पूर्ण दिखाया गया। • राशि का दुरूपयोग (पूर्व निर्मित शौचालय पर अथवा बिना निर्माण करवाये समस्त

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

				अनुदान राशि जारी) किया गया है।
			लोटियाना	• शौचालय में सुविधाओं का अभाव – पानी की टंकी, पानी का नल, बाल्टी, फ्लस, लाईट, किवाड नही। • शौचालय में साफ–सफाई नही है।
			काबरा	• वास्तव में 5 शौचालय पूर्ण, किंतु लाभार्थी को किश्त का भुगतान नहीं हुआ है।
			शाहपुरा	• वास्तव में शौचालय पूर्ण, किंतु लाभार्थी को किश्त का भुगतान नहीं हुआ है।
			मोहाना	• वास्तव में 2 शौचालय पूर्ण, किंतु लाभार्थी को किश्त का भुगतान नहीं हुआ है।
		भिनाय	राताकोट	• राशि का दुरूपयोग किया गया है। (सार्वजनिक शौचालय पर बिना निर्माण करवाये समस्त अनुदान राशि रू. 3,00,000 जारी कर दी गयी)
			कुम्हारिया	• शौचालय में सुविधाओं का अभाव – पानी की टंकी, पानी का नल, बाल्टी, फ्लस, लाईट, किवाड नही। • शौचालय में साफ–सफाई नही है।
			भिनाय	• शौचालय में साफ–सफाई नही है। • शौचालयों पर ताला लगा हुआ मिला। • अधिकांश शौचालय अनुपयोगी हैं।
5	उदयपुर	कुराबढ	फिला	• **शौचालय** की गुणवत्ता या क्षेत्रफल में कमी • स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण से देय मानव दिवस का लाभ नहीं दिया • वास्तव में **शौचालय** पूर्ण, किंतु लाभार्थी को किश्त का भुगतान नही • शौचालय के मल निपटान हेतु पिट नही

				लगाया गया है। • शौचालय के मल निपटान हेतु यदि पिट लगाया गया है तो चालू है या नहीं ? • शौचालय में सुविधाओं का अभाव – पानी की टंकी, पानी का नल, बाल्टी, फ्लस, लाईट, किवाड • शौचालय में साफ–सफाई का अभाव • लाभार्थी द्वारा **शौचालय** का अन्य कार्य में उपयोग किया जा रहा है। • अपूर्ण **शौचालय** को पूर्ण दिखाया गया
			परमहा	• अन्य उपयोग में • पानी की टंकी व किवाड नही है। • लिज पिट एक ही है।
			वसु	• समान रखने में उपयोग
			गुडली	• किश्त का भुगतान, पर बने नही • अधुरे शौचालय, नाम मात्र के। • स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण से देय मानव दिवस का लाभ नहीं दिया • वास्तव में **शौचालय** पूर्ण, किंतु लाभार्थी को किश्त का भुगतान नहीं • शौचालय के मल निपटान हेतु पिट नही लगाया गया है। • शौचालय के मल निपटान हेतु यदि पिट लगाया गया है तो चालू है या नहीं • शौचालय में सुविधाओं का अभाव – पानी की टंकी, पानी का नल, बाल्टी, फ्लस, लाईट, किवाड • अपूर्ण **शौचालय** को पूर्ण दिखाया गया • राशि का दुरूपयोग (पूर्व निर्मित **शौचालय** पर अथवा बिना निर्माण करवाये समस्त अनुदान राशि जारी) • SBM (G) लोगो /सूचना बोर्ड लगा हुआ है या नही
		मवली	चन्देसरा	• उपयोग में नही • सामान रखने में काम में लिया जा रहा

				है। • पिट चालू नही
			गादोली	• कुछ का उपयोग नही लिया जा रहा है।
			सानसोल	• शौचालय अपूर्ण। • शौचालयों का अन्य कार्यो में उपयोग।
6	भीलवाडा	माण्डल	चाखेड	• बोर्ड नही, उपयोग नही।
7	अलवर	थानागाजी	अजबपुरा	• शौचालय में सुविधाओं का अभाव – पानी की टंकी, पानी का नल, बाल्टी, फ्लस, लाईट, किवाड • शौचालय में साफ–सफाई का अभाव
		थानागाजी	गुढाचुरानी	• साफ–सफाई का अभाव
8	भरतपुर	बयाना	तरसूमा	• साफ–सफाई में कमी पायी गई।
9	चित्तोडगढ	कपासन	महो का वामणिया	• टीम को रिकोर्ड उपलब्ध नही करवाया गया, इसलिये भौतिक सत्यापन नही हुआ। • कार्य नही देखे गये।
10	जयपुर	फागी	नारेडा	• एक भी व्यक्ति को भुगतान नही।
		शाहपुरा	बिदारा	• ग्राम पंचायत में शौचालय केवल पीएम आवास में बने हुये है। इसके अतिरिक्त कोई स्वीकृत नही है।
		दूदू	बिगुलाव	• भौतिक सत्यापन के दौरान 35 लाभार्थियों के सूचना पट्ट नही। • 10 का भुगतान नही हुआ है।
11	झुंझुंनू	खिरोद	723	• बोर्ड नही मिला।
		मण्डावा	पाटौदा	• बोर्ड नही मिला।
			टांई	• सूचना पट्ट पर टाईल्स लगा दी गई है।
		नवलगढ	टोगडाकलां	• सार्वजनिक शौचालय में सफाई नही।
		चिडावा	नुनिया	• सार्वजनिक शौचालय का उपयोग नही।
12	सीकर	खण्डेला	भादवाली	• कोई शौचालय निर्माण नही।
		लक्ष्मणगढ	बगडी	• रिकोर्ड उपलब्ध नही करवाया गया है।
13	श्री गंगानगर	विजयनगर	7जीबी	• सूचना पट्ट का अभाव।
			6एपीडी	• ग्रामवासी शौचालय को अन्य उपयोग में ले रहे है।
		श्रीकरणपुर	25एच	• सूचना पट्ट का अभाव।

सामजिक अंकेक्षण में पाई गई प्रमुख अनियमितताओं का प्रतिशत (पाई चार्ट)

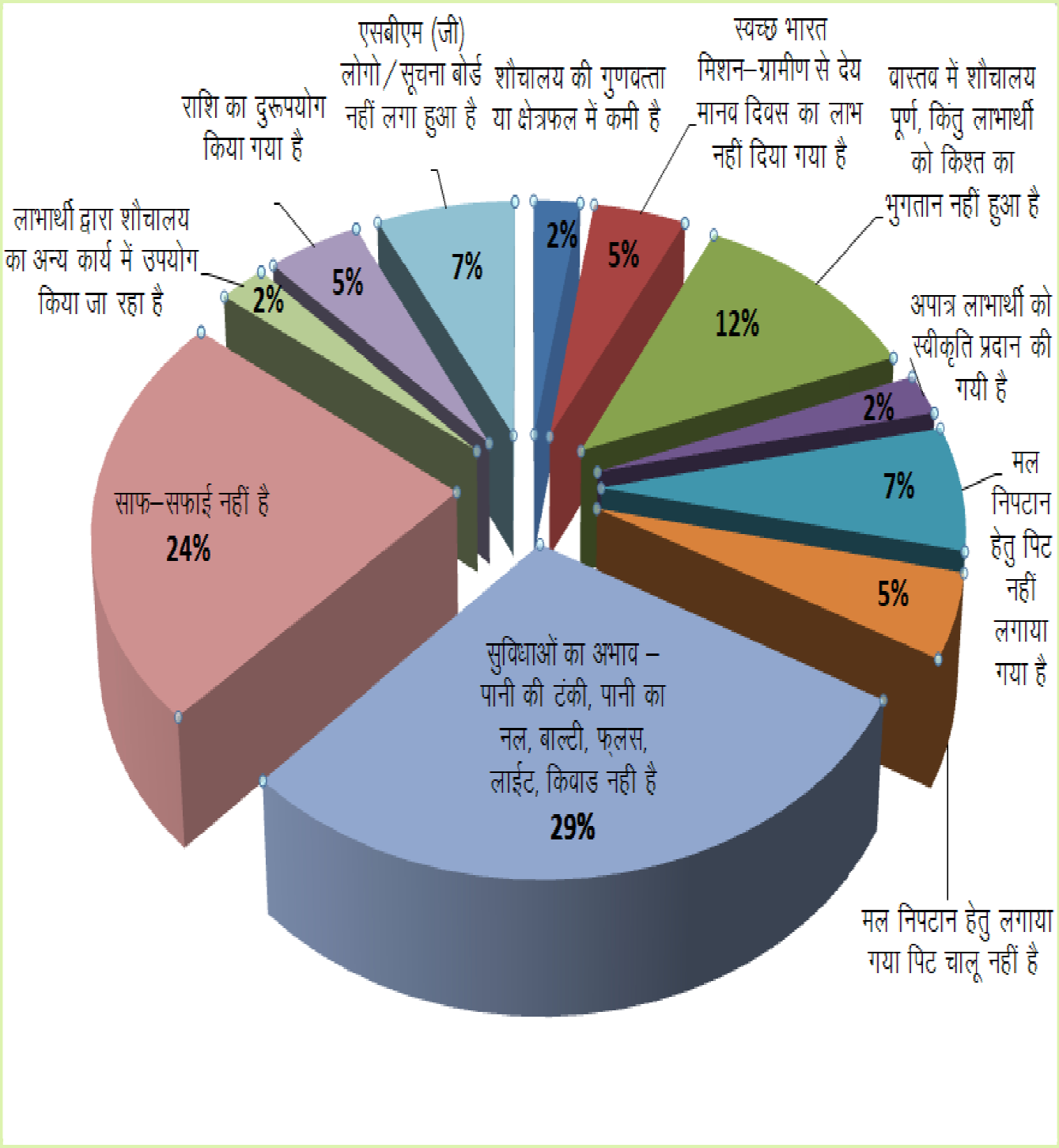

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर